(वाद सं0– 3107/4/3/2022)

13.09.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, ज्ञानदेव कुमार भारती, के मौजा–ककवारा, थाना संख्या–7/1, खाता संख्या–242, खेसरा संख्या–2158, रकबा–03 एकड़, जिला–बाँका के जमीन की चाहरदीवारी को बाँका महिला थाना के पूर्व थानाध्यक्ष, यशोदा देवी व उनके सहयोगियों द्वारा तोड़ देने तथा पुलिस द्वारा इस घटना में अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से प्रसंगाधीन घटना को लेकर महिला थाना, बाँका के पूर्व थानाध्यक्ष, यशोदा देवी, के विरूद्ध बाँका थाना काण्ड संख्या–773/22 संस्थित किया गया है तथा प्रसंगाधीन बाऊण्ड्री वाली जमीन को लेकर एक सिविल मामला (टाईटिल सूट संख्या–09/2018) सब जज, प्रथम, बाँका के न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, बाँका** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **पुलिस अधीक्षक, बाँका के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाँका** के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी की ओर से दाखिल बाँका थाना काण्ड संख्या–773/22, दिनांक–01.12.2022 में पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरान्त घटना को भूमि विवाद की कोटी में पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि उक्त विवादित जमीन को लेकर माननीय न्यायालय, बाँका में टाईटल सूट–09/2018 तथा केश संख्या–03/22 दर्ज कराया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। परिवादी की ओर से उक्त खाता एवं खेसरा में 03 एकड़ जमीन की जगह पर परिवादी का मात्र दो डिसमिल जमीन कागज पर है, जबकि परिवादी सड़क के किनारे तीन एकड़ जमीन को अपने कब्जा में लेना चाहते है। यह भूमि लखन

दास, पे0–बदरा दास, के नाम से खतियान में दर्ज है, जिसपर जमाबंदी संख्या–24 कायम है, जिसका अद्यतन लगान रसीद लखन दास, के नाम से चल रहा है। जबकि परिवादी के पास इस जमीन का कागजात नहीं है। लखन दास, को परिवादी द्वारा बाँका थाना काण्ड संख्या–773/22 में पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामला एक भूमि विवाद प्रतीत हो रहा है, जिसके सम्बन्ध में मामला सिविल न्यायालय में विचारणार्थ लम्बित है साथ ही साथ परिवादी द्वारा संस्थित बाँका थाना काण्ड संख्या–773/22, दिनांक–01.12.2022 में पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरान्त भूमि विवाद के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त पर राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिवादी अगर बाँका थाना काण्ड संख्या–773/22 के अनुसंधान से असंतुष्ट है तो वह इस सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

अतः पुलिस अधीक्षक, बाँका के उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को **भूमि विवाद** पाते हुए राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, बाँका के प्रतिवेदन (पृष्ठ 14–13/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव